

गाँधीजी के लोकतंत्र सम्बन्धी विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता—एक समसामयिक अध्ययन

सारांश

गाँधी जी पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के विरोधी थे लोकतंत्र के आंतरिक संकटों को उन्होंने सम्भवता का संकट माना है तथा उनके निराकरण का एक मात्र विकल्प जनशक्ति पर आधारित सर्वोदयी समाज को बताया उनकी दृष्टि में लोकतंत्र का संकट एक राजनीतिक संकट मात्र नहीं है बल्कि सम्भवता का सार्वदैशिक संकट था। गाँधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही तथा कहा कि प्रत्येक गाँव एक सम्पूर्ण राज्य होना चाहिए, गाँधी जी ने लोक निर्माता व्यक्ति को प्राथमिक केन्द्र बिन्दु माना गाँधी जी का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अन्य अवधारणाओं की भाँति उनकी अध्यात्मिक आस्था से संबंध है गाँधी जी ने भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रथम स्तर पर कुछ बातों को महत्वपूर्ण माना है जैसे – सत्याग्रह, अहिंसा, ग्रामीण उद्योगों का विकास, प्रथमिक शिक्षा, छुआ-छूत निराकरण, साम्प्रदायिक एकता एवं श्रमिकों का अहिंसक संगठन आदि। गाँधी जी के लिए लोकतंत्र का अर्थ नीचे से नीचे और ऊँचे से ऊँचे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का समान अवसर प्राप्त होना है तथा व्यस्त मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार एवं कर्तव्यपालन का होना है। अतः वर्तमान में शस्त्रीकरण, वैज्ञानीकरण, एवं वैश्वीकरण के दौर में गाँधी जी का ग्राम आधारित लोकतंत्र मानवीय विकल्प है क्योंकि गाँधी जी का स्वराज्य अध्यात्मीकरण की वैचारिक आधारशिला पर आधारित है।



गुलाम रसूल खान

व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय
कोटा ,राजस्थान

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, उदारवाद, सत्याग्रह, सर्वोदय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्यपालन, छुआ-छूत निराकरण, पाश्चात्य सम्भवता, लोकशक्ति, शिक्षा, संपत्ति, संस्कृति।

प्रस्तावना

गाँधी जी ने अपने आदर्श समाज के सर्वोदय के रूप में देखा है गाँधी जी का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें न कोई गरीब होगा, न कोई भिखारी, न कोई ऊँचा और ना ही कोई नीचा होगा सब लोग अपने आप रोटी कमाने के लिए मेहनत करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, सब धर्मों का आदर करेंगे व छुआछूत का अंत करेंगे। गाँधी जी धर्म और राजनीति को जीवन में महत्वपूर्ण मानते थे उनका मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि धर्मविहीन राजनीति आत्मा का हनन करती है और इसी कारण गाँधी जी ने पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र का विरोध किया तथा सर्वोदय, अहिंसा, स्वतंत्रता, समानता, सत्याग्रह, धर्म एवं कर्तव्यपालन पर आधारित संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया तथा शोषण, हिंसा, छुआछूत, नक्सलवाद, जातिवाद, जातीय संघर्ष, आदि का विरोध किया तथा लोकतंत्र के प्रति निष्ठा व आस्था को महत्वपूर्ण माना।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है—

1. गाँधी जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण करना।
2. वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण करना।
3. गाँधी जी के लोकतांत्रिक विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता का विश्लेषण करना।
4. गाँधी जी के विचारों के माध्यम से वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में सुधार करना।

साहित्यावलोकन

विद्वुत चक्रवर्ती (2006) ने अपनी पुस्तक सोशल एण्ड पोलिटिकल थ्योरी ऑफ महात्मा गाँधीश में गाँधी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का विस्तृत विश्लेषण किया है।

डगलस ऐलन (2008) ने अपनी पुस्तक द फिलॉस्फी ऑफ महात्मा गांधी फॉर द 21 सेन्चुरी (21 वीं सदी के लिए महात्मा गांधी का दर्शन परिचयात्मक अध्ययन में गांधी जी के लोकतांत्रिक विचारों की 21 वीं शताब्दी में प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

नागर पुरुषोत्तम (2000) ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिन्तन में गांधी जी के लोकतांत्रिक विचारों एवं भारतीय लोकतंत्र की समस्याओं का विश्लेषण किया है।

रामजी सिंह (2008) ने अपनी पुस्तक शगांधी और मानवता का भविष्य में लोकतंत्र एवं मानवता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझावों पर प्रकाश डाला है।

डॉ० कृष्ण कुमार रत्नू एवं डॉ० कमला (2008) ने अपनी पुस्तक समग्र गांधी दर्शन गांधी चिन्तन और वर्तमान प्रसंग में लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का गांधीवादी तरीके से समाधान का विश्लेषण किया है।

डॉ० धर्मवीर चंदेल (2012) ने अपनी पुस्तक शगांधी चिन्तन के विभिन्न पक्ष में गांधी जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण किया है।

शोध सीमा

शोधकार्य करते समय शोधार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने कार्य की सीमाओं का ध्यान रखे व इसे इस प्रकार से समायोजित करे कि शोधकार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके। अतः प्रस्तुत शोधकार्य की समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए केवल गांधी जी के लोकतंत्र संबंधी विचार एवं वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण तक सीमित रखा गया है ताकि शोधकार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके।

शोध पद्धति

किसी भी शोधकार्य के लिए उपयुक्त शोध विधि का चयन करना अत्यंत आवश्यक है उपयुक्त शोध विधि का चयन करके ही शोधार्थी अपने शोधकार्य को यथेष्ट परिणाम तक पहुँचा सकता है। इसलिए इस प्रस्तुत शोध में विश्लेषण एवं अवलोकन विधि का प्रयोग करके अपने परिणाम प्राप्त किए गए हैं।

गांधी जी के राजनीतिक विचारों, दर्शन एवं कार्यशैली का विस्तृत अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में मुख्यतः जिन 8 मुद्दों पर निरन्तर संघर्ष किया है वे हैं – नक्सलवाद, उपनिवेशवाद, जाति व्यवस्था, राजनीति सहभागिता, आर्थिक शोषण, स्त्रियों की दुर्दशा, धार्मिक एवं नस्लीय तथा अहिंसात्मक साधनों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए।

शायद इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी विरोध करने वाले दार्शनिक माने जाते हैं। परन्तु संघर्ष, विवाद, मतभेद, लड़ाई-झगड़े की स्थिति में जो समाधान के साधन गांधीजी ने बताए हैं। उनको लेकर भी वर्तमान में राजनेता गांधीजी की तरफ ही उन्मुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। अतः गांधीजी की उपादेयता और उपयोगिता तब तक समाप्त नहीं होती दिखाई नहीं दे रही। जब तक स्वयं इस प्रकार के विवाद और झगड़े ही समाप्त न हो जाए। क्योंकि पश्चिम की तर्ज पर हमने संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया था और थोड़े समय बाद ही वह जनतंत्र न

रहकर दलीय तन्त्र हो गया और दलों की जो बुराईयाँ होती हैं। वह भारत के राजनीतिक जीवन में घर कर गयी है। हमने लोकतंत्र के माध्यम से जो सुखी, शान्त, समृद्ध और उत्कृष्ट जीवन का सपना देखा थाए वह गांधीजी के सपनों का भारत नहीं बन पाया।

विश्लेषण एवं परिणाम

गांधी के विचारों से स्पष्ट होता है कि गांधीजी के राजनीतिक विचारों में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा सर्वत्र विद्यमान हैं। लोकतंत्र में समाज के पिछड़े वर्ग को राजनीतिक अधिकारों तथा व्यवस्था के निर्णयों को प्रभावित करने की मांग सतत होती रही है। गांधीजी ने भी लोकतंत्र में सामाजिक उत्थान के पक्ष को महत्व दिया है। ये अभिजात तन्त्रीय लोकतंत्र तथा पंचवर्षीय मतदान प्रणाली वाले औपचारिक लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। उनके लोकतंत्र में एक ओर समाज के दलित वर्गों द्वारा पूँजीपति, कुलीन वर्गों के नियन्त्रण के विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा मिलती है। तो दूसरी ओर उनके आदर्श समाज की माँग भी है। जिसमें व्यक्ति को स्वशासन का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। गांधीजी के सर्वोदयी उदारवादी लोकतंत्र में दलविहीन राजनीति के दर्शन होते हैं। उनका यह मानना रहा है कि लोकतंत्र के स्वतंत्र व स्पष्ट विकास में राजनीतिक दलों ने अनेक बाधाएँ उत्पन्न की हैं। गांधीजी सर्वोदय तथा अन्तोदय की दृष्टि से ऐसे समतावादी समाज के उत्पादक हैं। जिसमें नेता तथा जनता एक ही धरातल पर सादगी एवं संयम से जनसेवा का कार्य करते रहे। उन्होंने उद्योगवाद से रहित ऐसे समाज की नींव रखी है। जिसमें स्वावलम्बन द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। हिंसाविहीन राजनीति का सूत्रपात कर गांधीजी ने स्वतंत्रता, समानता तथा परोपकारिता के आदर्शों को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। वे राज्य के अवलम्बन से व्यक्ति को मुक्त कर जनजीवन में ऐसी जागृति उत्पन्न करना चाहते हैं। जिससे बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न न हो। सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह द्वारा लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करते हुए गांधीजी ने राजनीति से गठबंधनों तथा जाड़-तोड़ की सौदेबाजी को समाप्त कर व्यक्ति निर्णयों को शुद्धता तथा विकेयुक्त सत्यनिष्ठा को महत्व दिया है। गांधीजी लोकतंत्र को मिलावट विहिन अहिंसा का शासन मानते हैं। लोकतंत्र अर्थात् अहिंसा व्यक्ति की आत्मशुद्धि ओर नैतिक उत्थान को लिए हुए हैं। राजनीतिक स्वशासन, जिसमें पुरुष एवं स्त्रियों का स्वशासन अन्तर्निहित है। वे पश्चिमी दर्शों के लोकतंत्रीय उदाहरण से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि वहाँ शस्त्रों की होड़ साम्राज्यवाद, शोषण, पूँजीवाद, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा अच्छे नेतृत्व के अभाव ने सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों को भुला दिया है। राज्य का आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप राज्य शक्ति के बढ़ते हुए दायरे का प्रतीक बन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निगलने के लिए मुँह बाये खड़ा है। ऐसे भयावह राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उचित नियन्त्रण व संतुलन ढूँढ़ने की आवश्यकता ही गांधीजी के लोकतांत्रिक मूल्यों की तलाश है। प्रभुत्व मतदाताओं द्वारा चुनी हुई संसद भी कुछ नहीं

कर पाती है। उसका स्वार्थ और दंभ उनके चिन्तन को संकीर्ण बना देता है। आज के निर्णय कल बदल दिए जाते हैं। संसद के सदस्य या तो ऊँधते व आराम करते हुए दिखाई देते हैं या फिर लड़ते-झगड़ते दिखाई देते हैं। दल के लिए बिना सोचे-समझे मतदान करते हैं ऐसे व्यक्ति को ना तो देश भक्त ही कहा जा सकता है और न ही इमानदार एवं अन्तःकरण से प्रेरित ही कहा जा सकता है। मन्त्रियों व प्रतिनिधियों के साथ ही गांधीजी ने मतदाताओं को भी आड़े-हाथों लिया है। क्योंकि मतदाता प्रायः अस्थित व्यक्ति के होते हैं। वे किसी भी ओछपूर्ण तथा दावत सत्कार करने वाले व्यक्ति का अनुगमन कर सकते हैं। यह सभी त्रुटियाँ पश्चिमी लोकतंत्र में हैं। अतः वहाँ की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ अलोकतांत्रिक बन गयी हैं। संसद दासता का प्रतीक राष्ट्र का खर्चोला खिलौना मात्र है एवं जिसमें धन तथा समय दोनों का अपव्यय होता है। अतः पाश्चात्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को गांधीजी ने अपूर्ण माना है। उनका आलोचना का मुख्य आधार पाश्चात्य लोकतंत्र में व्याप्त हिंसा तथा असत्य की स्थिति है। गांधीजी ने अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित स्वराज्य की कल्पना में राज्य का स्वरूप सत्य तथा अहिंसा से ओतप्रोत लोकतांत्रिक राज्य का माना है। जिसमें वे भ्रष्टाचार व दम्भपूर्ण व्यवहार जो समूल नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने संख्या के स्थान पर सेवा तथा त्याग की भावना से युक्त समानता का आदर्श स्वीकार किया है और ऐसे लोकतांत्रिक को जबरन विकसित नहीं किया जा सकता है। इसी कारण लोकतांत्रिक की भावना बाहर से नहीं थोपी जा सकती है। इसे अन्दर से बाहर आना होता है। इसीलिए गांधीजी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हैं एवं परन्तु मतदाता के लिए अधिक शर्त की सेवा भी स्वीकार करते हैं। विकेन्द्रित सत्ता को सार्वभौमिक मताधिकार से युक्त अनुशासित एवं राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमान निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित कराना चाहते हैं।

उनकी स्वयं की मान्यता कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा जो जनता की इच्छा से हटाए भी जा सके। लोकतांत्रिक राज्य को अनुशासित करने का है। जन प्रतिनिधियों की संख्या कम करना चाहते हैं। राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहते हैं। इसलिए गांधीजी एक भिन्न-भिन्न प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं और जितने गाँव की संख्या है उतनी ही यूनिटों में शक्ति को विकेन्द्रित करना चाहते हैं। ऐसा लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होगा और वर्तमान में प्रचलित दोषों का मुकाबला करने में सक्षम साबित होगा।

गांधीजी के अनुसार व्यक्तिगत स्वराज्य से तात्पर्य है – निःस्वार्थ, योग्य एवं निर्विकार होना। चयन के इच्छुक व्यक्ति को पदलोलुपता, आत्मप्रशंसा, विपक्ष को अपमानित करने तथा मतदाताओं का मनोवैज्ञानिक शोषण करने की वर्तमान बुराईयों से मुक्त होना चाहिए। प्रचार के कारण मत नहीं मिलने चाहिए। अपितु अर्पित सेवा के गुण हेतु मत प्राप्त होने चाहिए।

चूंकि गांधीजी सत्याग्रही हैं। अतः सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति जो सेवा तथा मानव प्रेम के कारण पद ग्रहण करता है। उसे विभिन्न प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए।

गांधीजी के अनुसार मतदाता के लिए सम्पत्ति और शिक्षा की योग्यता प्रवर्चनापूर्ण है। शारीरिक श्रम की योग्यता ही सच्ची योग्यता का आधार है। क्योंकि शारीरिक श्रम शासन तथा राज्य की भलाई में कार्य करने के अवसर सदा के लिए प्रस्तुत करता है। श्रम पर आधारित मताधिकार राजनीति में रोजी-रोटी के सिद्धान्त को क्रियान्वित करता है। रोजी-रोटी के आदर्श का बुद्धिमता एवं जागरूकतापूर्ण प्रयोग मतदाता को राजनीतज्ञों के हाथ का मोहरा नहीं बनने देता एवं व्यक्ति में स्वावलम्बन आत्मविश्वास एवं अभय के गुणों की अभिवृद्धि होती है।

इस तरह निर्भय व्यक्ति ही लोकसेवा कर सकता है। इस प्रकार गांधीजी का लोकतंत्र एक ऐसा आदर्श लिए हुए है एवं जिसमें व्यक्ति समुदाय, प्रकृति एवं परमात्मा सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है तथा गांधीजी की अहिंसक राज्य एक तरह से आध्यात्मिक प्रजातंत्र पर आधारित है। परन्तु वर्तमान में इस आध्यात्मिक प्रजातंत्र का कोई ग्राहक दिखाई नहीं देता है।

लक्ष्य की दृष्टि से गांधीजी ने अहिंसक प्रजातंत्र का आदर्श सर्वोदय सबका कल्याण माना है। उनके अनुसार यह लोकतंत्र बहुमत और अल्पमत के हितों को पृथक-पृथक नहीं मानेगा। अपितु ऐसे वातावरण का निर्माण करेगा। जिसमें अल्पमत और बहुमत के हितों के मध्य कोई भेद नहीं रहेगा। इस व्यवस्था में शासन सबसे कमजोर व्यक्ति के हितों की सुरक्षा को भी सर्वोपरि महत्त्व देगा। कमजोर और दलित निम्न वर्गों का उत्थान इस शासन व्यवस्था का सर्वोपरि ध्येय होगा। ताकि सर्वांगीण विकास की व्यवस्था बनी रहे। इस लोकतंत्र की प्रेरणा बन्धन के उपयोगितावादी आदर्श अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख से नहीं। अपितु समस्त मानवों का श्रेष्ठ कल्याण होगा। व्यक्तियों के सर्वकल्याण की परिधि में नैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक कल्याण शामिल होंगे।

गांधीजी ने लोकतंत्र को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ ही शासन के लोकतांत्रिक होने का मापदण्ड नहीं होता। अपितु लोकतांत्रिक भावना की अभिव्यक्ति तो उन आदर्शों में होती है। जिनके लिए शासन सक्रिय और प्रयत्नशील रहता है। अतः अहिंसक लोकतंत्र बहुमत या अल्पमत शासन नहीं, अपितु न्याय का शासन होगा।

इस व्यवस्था में शासन द्वारा मनमाने निर्णय लेने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि न्याय और विधि के शासन का विचार शासन की समस्त संस्थाओं को अनुप्राणित करेंगे और ये विधि निर्माण तथा कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के औचित्य के मापदण्ड माने जायेंगे।

वर्तमान भारतीय समाज पाश्चात्य सम्यता से अत्याधिक प्रभावित हैं परन्तु आधुनिक भारतीय सम्यता का संकट यही है कि इसका गतित्व समाप्त हो चुका है। किन्तु नवीन सम्यता शिशु का अब तक जन्म नहीं हो सका है। शायद यह इसकी प्रसव वेदना का काल है। औसवाल्ड, स्पेगलर, डेनिलवस्की, अर्नल्ड टायनबी आदि के मतों को उद्घाटित करते हुए ए.ए.ल. क्रोवर ने आधुनिक सम्यता का जन्म कुण्डली रिथित कालचक्र के अनुसार यह भविष्यवाणी कर दी है कि इस सम्यता का अन्त 21वीं सदी के मध्य

सुनिश्चित है। जब किसी तत्वज्ञान या सामाजिक संरचना का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो जाता है तो वह जनता की आवश्यकताओं और आकौश्काओं से अनुबंध नहीं रखने के कारण सामाजिक क्रांति का उपकरण नहीं बन सकता। इसी वैश्विक संदर्भ में दादा धर्माधिकारी ने सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार की प्रस्तुति में तीन बिन्दुओं को रखा है—

1. शास्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।
2. यंत्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।
3. प्रचलित लोकतन्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।

सर्वोदय का आधार एवं स्वरूप सांस्कृतिक है और हमारा संकट भी सांस्कृतिक है। अतः सर्व प्रथम हमें सांस्कृतिक मूल्यों के परीक्षण के लिए एक कसौटी तय करनी होगी। सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा को हम मूल्य कहते हैं। प्रमाणिकता उसका पहला लक्षण है और उसकी कसौटी है — अपने जैसा दूसरों को जानना, अर्थात् मैं अपने लिए जो करूँगा। वह दूसरों के लिए करूँगा और पहला कदम मैं उठाऊँगा। कोई दूसरा पहला कदम उठाएए इस बात का इन्तजार मैं नहीं करूँगा। इसी को हम,फल निरपेक्ष कर्तव्य, कह सकते हैं। जिसे कांट ने *Categorical Imperative* या गीता में अनासक्त कर्म की संज्ञा दी गई है। उपर्योगितावादी दृष्टिकोण से ऐसा कर्म भले ही दिखे। लेकिन स्वायत्त जीवन की फल निरपेक्षता इसलिए व्यर्थ नहीं जा सकती है। क्योंकि फल निरपेक्षता का अर्थ है कि फुटकर फलों की आशा छोड़कर अंतिम फल की आशा करना यानि व्यापक अभिलाषा का नाम ही निराभिलाषा है। जब स्वार्थ परार्थ से आगे बढ़ जाता है तो परमार्थ हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण का पर्याय बन जाता है। तो वह सर्वोदय कहलाता है। जो तात्कालिक और व्यक्तिगत सुख के लिए अपने चरम सुख के साथ समझौता कर लेता है। वह सुधारवादी हो सकता है क्रांतिकारी नहीं।

जीवन को समझने के लिए हमें जीवन मूल्यों को समझना होगा। दादा धर्माधिकारी ने जीवन मूल्य के पाँच लक्षण बताए हैं —

1. प्रमाणिकता
2. सार्वत्रिकता
3. निरपेक्षता
4. स्वतः प्रमाणयता
5. स्वभाव की अनुरूपता।

मूल्यों के परिवर्तन से ही जीवन परिवर्तन और समाज परिवर्तन संभव है वृति में परिवर्तन होने पर ही मूल्यों की स्थापना होगी। सर्वोदय दर्शन का उद्देश्य सुस्पष्ट है। उस उद्देश्य के अनुरूप साधन की अवधारणा भी साफ है।

हम शुरुआत के तौर पर अहिंसक लोकशक्ति के संगठन के लिए शांति सेना या अहिंसा वाहिनी सेना का व्यापक संगठन करें। यह तो आवश्यक है। लेकिन इसमें भी अधिक जरूरी है कि शांति या अहिंसक क्रान्ति पर अमल करें। आज हमारा संस्कार ही हिंसक हो गया है। इसका परिष्कार कोई राजनेता या मठाधीश पण्डा या पुजारी नहीं कर सकता। वह तो सम्यक शिक्षा व्यवस्था से

ही संभव है। आज की शिक्षा में न जीवन है न जीविका की गारन्टी। ऐसी स्थिति में इस शिक्षा से समाज का नेतृत्व पाने की आशा ही एक मृग मरिचिका है। आजादी के बाद अराजक पुलिस या अर्द्धसैनिक व्यवस्थापक लगभग 500 गुना खर्च बढ़ा है और उसी अनुपात में अपराध भी बढ़े हैं। स्पष्ट है कि यह तरीका निकम्मा और बेकार है। आतंकवाद का उत्तर गाँधी है एं जिसने चम्पारन में किसानों के लिए खेड़ा एवं बारडोली में अन्याय के खिलाफ दक्षिण अफ्रिका और भारत में रंगभेद और अस्पृश्यता के खिलाफ तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध किया। गाँधीजी ने 1908 में लंदन में दक्षिण अफ्रीका जाते समय जहाज पर ही 'हिन्द स्वराज्य' नामक एक छोटी सी किताब लिख डाली थी। उनकी दृष्टि में यह हिंसा को समर्थन कर देने वाली भारतीय विचारधारा के प्रतिवाद के रूप लिखा गया। आखरी समय में भी वे सम्प्रदायवाद से ज़ज़ते हुए मरे। आतंकवाद के लिए गाँधी की निष्ठा एवं उनका आत्मबलिदान चाहिए। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिए। शिक्षा में हमने शान्ति और अहिंसा के तत्व को शामिल नहीं किया है। शिक्षा मानव मन और मानव संस्कार को ठीक करते हैं। दुर्भाग्य है कि हम धनुर्वेद और सैनिक विज्ञान को शिक्षा शास्त्र में प्रतिष्ठित स्थान देते हैं एं परन्तु शक्ति शोध अहिंसा विज्ञान को अनावश्यक और अनुपयोगी मानते हैं। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, महात्मा गाँधी और विनोबा के देश में 234 विश्वविद्यालय में से मात्र 10 विश्वविद्यालयों में गाँधी विचार और अहिंसा का छोटा—मोटा पाठ्यक्रम है। जबकि यूरोप और अमेरिका में लगभग 2000 शान्ति शोध के संस्थान हैं। आज देश में लगभग 10 हजार कॉलेज हैं एं पर प्रायः सभी जगहों पर प्रसार कार्य के रूप में सैनिक प्रशिक्षण (राष्ट्रीय सेन्य प्रशिक्षण, एन. सी. सी.) हैं एं लेकिन शान्ति सेना का प्रशिक्षण बेकार समझा जाता है। आज तो विश्वविद्यालय के परिसर में हिंसक उपद्रवों के शमन के लिए बन्दुकधारी स्थायी सुरक्षा सैनिक रखे जाते हैं। यदि हिंसा और आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है तो कलह शमन और शांति का भी प्रशिक्षण देना होगा। इसलिए अहिंसा का अध्ययन — शोध तथा प्रशिक्षण जरूरी है। हमने प्रशिक्षण एवं शांति प्रसार का कार्य केवल साधु संतों पर छोड़ दिया है जो प्रायः साम्राज्यवादी, भेदभाव, अपने वर्चस्व को बनाये रखने में अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। विश्व धर्म और विश्व नैतिकता विश्व झाँकी का आधार है।

धर्मान्तरण के द्वारा सम्प्रदाय विस्तार भी धार्मिक साम्राज्यवाद का ही रूप है। भूमण्डलीकरण के नाम पर विकासशील देशों के शोषण वस्तुतः एक आक्रमणपूर्ण युद्ध है। इसी प्रकार धूंजीवादी या साम्यवादी, वैशिक इसाइयत या विश्व हिन्दुत्व या अखिल इस्लामियत की भावना और योजना विश्व शांति की बाधक है। वास्तव में यह 'अहिंसा परमो धर्मः' का आचरण करते हैं। परन्तु वास्तव में हिंसा परमो धर्म का आचरण करते हैं।

निष्कर्ष

गाँधी दर्शन और हमारा समाज इन दिनों विश्व को अहिंसा का नया सृजन फलक प्रदान कर रहा है। इसी कैनवास के जरिए हम विश्व को शांति के एक नये झरोखे द्वारा देख सकते हैं एवं गाँधी दर्शन की एक नई

व्याख्या से रुबरु हो सकते हैं। आतंक बिखराव और दहशत से जूझते हुए विश्व को इन दिनों गाँधी दर्शन और उनका अहिंसा का प्रयोग सूत्र ही एक मात्र चिराग है। जो इस विश्व को एक नया रास्ता दिखा सकता है। इस नयी सदी में गाँधी जी के दर्शन की नयी परिभाषा की जा सकती है। आज प्रश्न यह भी उठाया जा रहा है कि क्या गाँधी दर्शन इस नयी सदी के बदलते हुए परिवृश्य में भी इतनी ही प्रासंगिक है एं जितनी पहले थी।

आज के वैश्वीकरण के दौर में संसार के सामने जो विश्व स्तरीय चुनौतियाँ हैं। उन्हें देखते हुए गाँधी दर्शन आज भी उतना ही स्वीकार्य है। जितना पहले था। शायद उससे भी कहीं ज्यादा।

गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता को दर्शाते हुए लेखक जनार्दन द्विवेदी का मानना है कि 75 साल पहले आधुनिक विश्व के दो असाधारण पुरुषों ने अपने—अपने देश में जनक्रांति का नेतृत्व किया। दोनों ही के अपने अलग—अलग विचार थे। वे अपने देश व विश्व को एक नये रास्ते पर ले जाना चाहते थे। जहाँ सभी प्रकार के शोषण और दमन से मुक्ति हो, हालाँकि उनके लक्ष्य कमोबेश समान थे। लेकिन उन्हें प्राप्त करने का रास्ता और तरीका बिल्कुल भिन्न था। वे दोनों आत्म बलिदान और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। वे महापुरुष थे—गाँधी और वी.आई. लेनिन।

आज गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता शायद पहले से अधिक महसूस होने लगी है। वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में गाँधी पहले से अधिक प्रासंगिक हो गये हैं। आज पूरा विश्व आतंकवाद, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, परमाणु शस्त्रों की होड़, नव उपनिवेशवाद, आर्थिक असमानता, गरीबी, भुखमरी, मानवाधिकार हनन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन जैसी घोर समस्याओं से जूझ रहा है। इस

स्थिति में गाँधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, धर्म एवं राजनीति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बन्धुत्व एवं लोकतंत्र पर दिए गए विचार एवं सुझाव विश्व की समस्याओं का एक मात्र समाधान प्रतीत होते हैं। अतः गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता समसामयिक विश्व में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गाँधी एम.के. : हिन्दी स्वराज और इण्डियन होम रूल, नवजीवन प्रकाशन हाउस, अहमदाबाद, 1938
2. चक्रवर्ती, विद्वत : सोशल एण्ड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ महात्मा गाँधी, लंदन रॉडलेज, 2006
3. डगलस ऐलन : 'द फिलॉस्फी ऑफ महात्मा गाँधी फॉर द 21 सेन्चुरी' (21 वीं सदी के लिए महात्मा गाँधी का दर्शन परिचयात्मक अध्ययन), आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008
4. नगर पुरुषोत्तम — 'आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिन्तन', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000
5. सिहार रामजी : 'गाँधी और मानवता का भविष्य', कॉमन वेल्थ पब्लिशर्स, 2008
6. रत्न डॉ. कृष्ण कुमार एवं डॉ. कमला : समग्र गाँधी दर्शन, गाँधी चिन्तन और वर्तमान
7. 'प्रसंग', आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2009
7. डॉ. धर्मवीर चंदेल, गाँधी चिंतन के विभिन्न पक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2012